न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश विश्नोई (प्रथम लिंक अधिकारी), आर. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./301/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंट्स
मदनसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी बावरी कल्ला, तहसील जिला फलौदी	1. अचलाराम पुत्र भलाराम, जाति कुम्हार प्रजापति 2. गोधुराम पुत्र भलाराम, जाति कुम्हार प्रजापति 3. चुतराराम पुत्र भलाराम, जाति कुम्हार प्रजापति 4. चैनाराम पुत्र भलाराम, जाति कुम्हार प्रजापति, निवासी खार की ढाणी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 5. गुणेशाराम पुत्र पुनमाराम, जाति कुम्हार प्रजापति 6. फुसाराम पुत्र सोनाराम, जाति कुम्हार प्रजापति 7. भेराराम पुत्र सोनाराम, जाति कुम्हार प्रजापति 8. मगाराम पुत्र सोनाराम, जाति कुम्हार प्रजापति, निवासी खार की ढाणी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 9. मुकेशसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी बावरी कल्ला, तहसील फलौदी, जिला फलौदी। 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा। 11. शाखा प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 93/2024 अनवान अचलाराम व अन्य बनाम गुणेशाराम वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अन्नाराम सारण रेस्पों. सं. 1 से 4 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक:–14.01.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 से 04 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम खार की ढाणी, तहसील पचपदरा के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 114 रकबा 8.5389 हेक्टेयर भूमि आई हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिसमें वादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 176/1055 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 8/211 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 37/1055 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 117/1055 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 117/1055 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 4/211 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 4/211 हिस्सा आया हुआ है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग-अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त है। जिस पर वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं समस्त आदेशिकायें पत्रावली में प्रमाणित उपलब्ध हैं। अतः बहस सुन ली जाये। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति से पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम खार की ढाणी, तहसील पचपदरा के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 114 रकबा 8.5389 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसमें वादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 176/1055 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 8/211 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 37/1055 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 117/1055 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 117/1055 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 4/211 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 4/211 हिस्सा आया हुआ है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग-अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर अपीलांट की विधिवत तागील करवाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधि संगत नहीं है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट लगातार निर्विवादित काबिज-काश्त चला आ रहा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक तथ्यों की व्याख्या के ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को समुचित अवसर प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 90 दिवस की अवधि में निस्तारित करने का आदेश प्रदान करावें।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय आपीलांट को बिना तामील के पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 93/2024 अनवान अचलाराम व अन्य बनाम गुणेशाराम वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय 90 दिवस में पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ निर्णय प्रति प्रेषित की जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
प्रथम लिपिक अधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर